(603)

पत्रांक :— 14 / जा0नि0—03—13 / 2015 (खण्ड) का0 6267 /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 02-08-2019

विषय :— केन्द्रीय संस्थानों / प्राधिकारों द्वारा वांछित प्रपत्र में ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में अनुदेश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मामले में विभिन्न प्राधिकारों / स्त्रोंतो से ऐसी सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार से इतर केन्द्र सरकार के कतिपय संस्थानों / प्राधिकारों एवं अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त प्राधिकार / संस्थान के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र से भिन्न होता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र सं0—1754, दिनांक—25.02.2019 द्वारा विस्तृत अनुदेश एवं विहित प्रपत्र जारी किए गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसे मामलों में विभागीय अनुदेश के आलोक में सक्षम स्तर से निर्गत ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार से इतर केन्द्र सरकार के कतिपय संस्थानों / प्राधिकारों एवं अन्य संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र ऑफ लाईन निर्गत किए जा सकते हैं। ऐसे प्रमाण पत्र आवेदक के अनुरोध पर सम्बन्धित प्राधिकारों द्वारा विहित प्रक्रियानुसार ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरान्त जारी किए जा सकेंगें बशर्ते कि ऑनलाइन निर्गत प्रमाण पत्र में अंतर्निहित सूचना से भिन्न कोई सूचना ऑफलाईन प्रमाण पत्र में अंकित न हो। उक्त जाति प्रमाण पत्र में यह निश्चित रूप से अंकित किया जाएगा कि यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र संख्या / दिनांक के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,
2/8/19
(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

E:\chandan\letter 2019.docx